

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. सुभाष सैनी पुत्र भगवान सहाय जाति माली निवासी बल्लभदासपुरा तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 807/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1538


आदेश

दिनांक - 3/12/25

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम बल्लभदासपुरा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 101, 208 तथा ग्राम गांवडी के खाता संख्या 151, 405, 567 में वादी का गलत दर्ज नाम "सुभाष चन्द पुत्र भगवान सहाय" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "सुभाष सैनी पुत्र भगवानसहाय" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बड़जलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. सुभाष सैनी पुत्र भगवान सहाय जाति माली निवासी बल्लभदासपुरा तहसील नीमकाथाना, सीकर राज.।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 807-सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम बल्लभदासपुरा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 101, 208 तथा ग्राम गांवडी के खाता संख्या 151, 405, 567 में वादी का गलत दर्ज नाम "सुभाष चन्द पुत्र भगवान सहाय" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "सुभाष सैनी पुत्र भगवानसहाय" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निज..... मुबलिग..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत
ओहदा.....

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।